

दिल्ली मण्डल-3/Delhi Division-III

, विषय : पालिसी सo	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Re: Policy No	,
प्रपने/अपनी (सम्बन्ध)जिसका नाम	
भायुःःःःवर्ष तथा पताःःःः	
को एतद् द्वारा बीमा अधिनियम 1938 के अन्तर्गत उस ब	यक्ति के रूप में नामित करता हं, जिसे मेरी मृत्यु हो
जाने पर पालिसी के अन्तर्गत मिलने वाले धन का भुगता	
	1 122 203 111
the policy nominate under Section 39 of the	Insurance Act, 1938 mynamed
age	
under this policy shall be paid in the event of	my death.
आज दिनांकमाह	20 को स्थानमें हस्ताक्षर किए।
साक्षी :	
	~.···
	(Date) (Month)
(Place)	(Date) (Month)
WITNESS:	
हस्ताक्षर	(बीमेदार के हस्ताक्षर)
पूरा नाम	पता
पता	
granter was a grant for the same	
	(Signature of the Life Assured)
Signature (in English)	Address
Full Name	
Designation	
Address	***************************************

निर्देश **INSTRUCTIONS**

- 1. केवल वही व्यक्ति जिसने जीवन पर पालिसी ली हो अर्थात केवल बीमेदार ही नामित व्यक्ति नियुक्ति कर सकता है। A Nomination can be made only by the holder of a policy on his own life, i.e. only by the life
- 2. इस फर्म के पीछे छपी हुई नामक के लिए खाली जगह है, उसको आवश्यकता अनुसार भर देना चाहिए और फिर बीमेदार को उसकी यथावत प्रतिलिपि पालिसी के पीछे कर देनी चाहिए। After filling up the blanks as may be necessary in the form of nomination printed above, the

Assured should copy it out on the policy. THIS FORM IS NOT TO BE PASTED ON THE POLICY

3. बीमेदार को अपने हस्ताक्षर साक्षी के सामने करने चाहिए। यदि बीमेदार हिन्दी न जानता हो तो उसे पृष्ठांकन पर अपना अंगूठा निशान मजिस्ट्रेट, जस्टिस आँफ पीस या राजपत्रित अघिकारी या बीमा निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारी अथवा विकास अधिकारी जो कम से कम पांच वर्ष से सेवारत हो तथा पृष्ठांकन भरने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में पूर्णतया सन्तुष्ट हो कि उपस्थिति में लगाना चाहिए। ऐसी स्थिति में साक्षी को नीचे लिखे प्रकार से एक प्रमाण पत्र भी देना चाहिए। The assured must affix his Signature to the endorsement in the presence of the witness. If the Assured be not conversant with English he should sign the endorsement before an English knowing witness and if he be iliterate he must affix his thumb impression to the endorsement before a Magistrate, Justice of Peace or a Gazatted Officer. In such cases the witness should certify as

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामक के सम्बन्घ में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे मैने बीमेदार श्री......को उनकी समझी जाने वाली भाषा में समझा दिया है और बीमेदार ने उसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद मेरे सामने उस पर हस्ताक्षर किए हैं/अपना अंगूठा निशान लंगाया है। "Certified that the contents of the above nomination have been explained by me to the assured invernacular and that he affixed his signature/thumb impression thereto in my presence after throughly understanding the same.

- 4. इस तरह पालिसी प्रतिलिपि अंकित कर देने एवं सारी कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद नामक की दर्ज करने के लिए पालिसी निगम के शाखा कार्यालय को तत्काल भेज देनी चाहिए। इस नामक का नोटिस जब तक निगम को नहीं दे दी जाती है और उसके द्वारा अपने रिजस्टरों में दर्ज नहीं कर लिया जाता है। तब तक नामक का कोई महत्व नहीं होता है। Immediately after a nomination has been affected by an endosement, the policy must be sent to the Servicing Office of the Corporation for the registeration of the Nomination. A Nomination will NOT be effectual unless it is communicated to and registered by the Corporation.
- यदि नामित व्यक्ति आवश्यक हो तो बीमा अधिनियम में दिए गये ढंग से किसी एक व्यक्ति को निर्घारित व्यक्ति (एप्वाईन्टी) के रूप में नियुक्ति करना जरूरी होता है जो नामित व्यक्ति की आवश्यकता में बीमेदार की मृत्यु हो जाने पर पालिसी के अन्तर्गत मिलने वाली रकम ले सके। ऐसे 'निर्घारित व्यक्ति' एप्वाइन्टी की नियुक्ति वाला फार्म निर्देशों के साथ निगम से आवेदन करन पर प्राप्त हो सकता है।

If the nominee be minor, it is advisable to appoint in the manner prescribed by the Insurance Act an appointee to receive the moneys secured by the policy in the event of the assured's death during the minority of the nominee. A form of appointment of appointee with instruction can be had from the Corporation.